



संचिका संख्या :- ICDS/80050/13-2014 2891 दिनांक 12/06/2020

प्रेषक,

निदेशक
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

विषय :- आश्रय गृहों में रहने वाले 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ICDS की छः सेवाएँ प्राप्त करने हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों से संबद्ध करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान सचिव-सह-प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम के गै0स0प्रे0सं0-10 दिनांक 03.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव -सह- प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के प्रासंगिक पत्र में अपर मुख्य सचिव -सह- अध्यक्ष, महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न सुधार गृहों यथा SAA,, SSH, Shelter home में रहने वाले 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे कि आँगनबाड़ी केन्द्र से संबद्ध कर आई.सी.डी.एस. के तहत सभी 6 सेवाएँ उपलब्ध कराने संबंधी दिये गये निदेश का उल्लेख किया गया है। (महिला विकास निगम की संचिका के टिप्पणी भाग की छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त के आलोक में प्रधान सचिव -सह- प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा उक्त निदेश के क्रियान्वयन संबंधी सूचना भेजने का निदेश दिया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश के आलोक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

निदेशक

आई.सी.डी.एस

ज्ञापांक :- ICDS/80050/13-2014 2891 दिनांक 12/06/2020

प्रतिलिपि :- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

आई.सी.डी.एस.